



आरईसी
REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएँ
Endless energy. Infinite possibilities.

महारत्न कंपनी

REC Limited | आरईसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम) / (A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, रकोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. आई-4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)
दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
सीआईएन: L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी-1 /187(2)/2025/2498

दिनांक: 27 अगस्त 2025

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), <u>Mumbai-400 051</u>	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") की 56वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की कार्यवाही बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई।

महोदय / महोदया,

आरईसी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से आयोजित की गई। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवाही अनुबंध-1 में संलग्न है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44(3) के तहत मतदान के लिए रखे गए मामलों के परिणाम अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे।

धन्यवाद,

यह आपकी जानकारी के लिए है।

संलग्न : ऊपरोक्त अनुसार

Jyoti
Shubhra
Amitabh

Digitally signed by Jyoti Shubhra
Amitabh
DN: cn=Jyoti Shubhra, o=REC, email=jyoti.shubhra@recindia.nic.in

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)

कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

आरईसी लिमिटेड की 56वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे (पहली तारीख) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से आयोजित।

आरईसी की 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" / "कंपनी") पर आयोजित किया गया था **बुधवार, 27 अगस्त, 2025 को सुबह 11:00 बजे** (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओए वीएम") के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्रों के अनुसार।

निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

1. श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजनाएँ) अतिरिक्त प्रभार (बैठक के अध्यक्ष)
2. श्री हर्ष बावेजा, निदेशक (वित्त)
3. श्री शशांक मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक
4. श्री मनोज शर्मा, पावर फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नामित निदेशक ("पीएफसी")
5. श्री नारायणन तिरुपति, स्वतंत्र निदेशक एवं लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष
6. डॉ. गंभीर सिंह, स्वतंत्र निदेशक
7. डॉ. दुर्गेश नंदिनी, स्वतंत्र निदेशक एवं हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष

श्री जे. एस. अमिताभ, कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव भी उपस्थित थे। इसके अलावा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधि, अर्थात् मैसर्स कैलाश चंद जैन एंड कंपनी से श्री अंकित बिड़ला और श्री सौरभ चौहान, और मैसर्स एससीवी एंड कंपनी एलएलपी से श्री अभिनव खोसला और श्री अनुपम कुमार, बैठक में उपस्थित थे। इसके अलावा, मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखा परीक्षकों से श्री सचिन अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे।

आरईसी की होल्डिंग कंपनी पीएफसी के प्रतिनिधि श्री मनीष कुमार अग्रवाल भी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 172 शेयरधारकों ने वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के अनुसार, आरईसी की 56वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही इस प्रकार थी:

1. प्रारंभ में कंपनी सचिव ने कंपनी के शेयरधारकों का वर्चुअल रूप से आयोजित 56वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत किया। उन्होंने शेयरधारकों को वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के सामान्य निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, अन्य निदेशकों और पीएफसी के प्रतिनिधि का परिचय भी कराया। उन्होंने आगे बताया कि

- वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित वैधानिक रजिस्टर और अन्य दस्तावेज़ निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने आगे बताया कि बैठक के लिए आवश्यक कोरम मौजूद है। इसके बाद, उन्होंने अध्यक्ष महोदय से वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध किया।
- II. श्री जितेंद्र श्रीवास्तव ने अध्यक्षता की और बैठक में उपस्थित सभी शेयरधारकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। अपेक्षित कोरम की उपस्थिति के कारण, अध्यक्ष ने बैठक की शुरुआत की। अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी द्वारा शेयरधारकों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने और प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपना मत देने में सक्षम बनाने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए हैं। इसके बाद, अध्यक्ष ने शेयरधारकों को संबोधित किया और वर्तमान आर्थिक अवलोकन, ऊर्जा पहुँच का लोकतंत्रीकरण, भारत की ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा क्रांति में आरईसी की उत्प्रेरक भूमिका, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, धन जुटाना, जोखिम प्रबंधन, नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ऊर्जा को बढ़ावा, ईएसजी नेतृत्व, कॉर्पोरेट शासन उत्कृष्टता, एमओयू रेटिंग, लोग और संस्कृति, सीएसआर नेतृत्व और एक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करने जैसे विषयों पर भाषण दिया।
 - III. इसके बाद, अध्यक्ष ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरईसी की दूसरी ईएसजी रिपोर्ट जारी की है, जो कंपनी की वेबसाइट <https://irecindia.nic.in/uploads/files/CO-BDM-ESG-Report-FY-2024-25.pdf> पर उपलब्ध है।
 - IV. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से वार्षिक आम बैठक की सूचना और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पढ़ने को कहा।
 - V. कंपनी सचिव ने बताया कि 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, इसलिए इसे पढ़ा हुआ माना जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है और उन्होंने बिना किसी शर्त, आपत्ति, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी रिपोर्ट दी है। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित (एकल और समेकित) वित्तीय विवरणों पर 'शून्य' टिप्पणी दी है।
 - VI. कंपनी सचिव ने आगे बताया कि सचिवीय लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पाया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुछ अवधि के लिए, बोर्ड और उसकी कुछ समितियों की संरचना में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे।
 - VII. इस संबंध में, कंपनी सचिव ने बताया कि आरईसी एक सरकारी कंपनी है और इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं और कंपनी की अपने बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है और सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधन की विस्तृत प्रतिक्रिया वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।
 - VIII. इसके बाद, कंपनी सचिव ने 56वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निहित साधारण और विशेष कार्य की मदें पढ़ीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है: --

मद संख्या	विवरण	संकल्प का प्रकार
साधारण व्यवसाय		
1.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना, अनुमोदन करना और अपनाना, साथ ही निदेशक मंडल, लेखा परीक्षकों	साधारण संकल्प

	की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी प्राप्त करना।	
2.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंतरिम साधारण लाभांश के भुगतान पर ध्यान देना और समाधान कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करना।	साधारण संकल्प
3.	श्री शशांक मिश्रा (डीआईएन: 08364288) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति हेतु, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, स्वयं पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।	साधारण संकल्प
4.	सामान्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।	साधारण संकल्प
विशेष व्यवसाय		
5.	श्री जितेंद्र श्रीवास्तव (डीआईएन: 06817799) की साधारण अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति।	साधारण संकल्प
6.	डॉ. गंभीर सिंह (डीआईएन: 02003319) की विशेष अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष संकल्प
7.	डॉ. दुर्गेश नंदिनी (डीआईएन: 09398540) की विशेष अंशकालिक गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष संकल्प
8.	प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।	विशेष संकल्प
9.	सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति	साधारण संकल्प

ix. कंपनी सचिव ने बताया कि लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने रविवार, 24 अगस्त, 2025 (सुबह 9:00 बजे) से मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (शाम 4:00 बजे) तक उन सभी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जो कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को शेयर धारक थे, ताकि वे 56वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। उन्होंने आगे बताया कि जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल पाए हैं, वे एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके एजीएम के दौरान अपना वोट डाल सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी ने मिस के श्री सचिन अग्रवाल को नियुक्त किया है। अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को वार्षिक आम बैठक के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। एजीएम के दौरान दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की संवीक्षा की जाएगी।

x. मतदान के परिणाम वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक के दौरान प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से डाले गए मतों को एकत्रित करके निर्धारित किए जाएंगे। समेकित परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और एनएसडीएल प्लेटफॉर्म (<https://www.evoting.nsdl.com>) पर भी निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के भीतर पोस्ट किए जाएंगे।

xi. इसके बाद, जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए 'वक्ता' के रूप में पूर्व-पंजीकृत किया था, उन्हें प्रबंधन के साथ अपने विचार साझा करने और अपने प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया। शेयरधारकों ने कंपनी के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन और वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की सराहना

की। इसके अलावा, शेयरधारकों ने गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी, कंपनी के भविष्य के रोडमैप, पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लाभांश, एजीएम का भौतिक रूप से आयोजन, कंपनी के व्यवसाय और संचालन से संबंधित अन्य पहलुओं आदि से संबंधित प्रश्न पूछे। कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक (वित्त) द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए गए। अध्यक्ष ने कंपनी के कामकाज में गहरी रुचि के लिए शेयरधारकों का धन्यवाद किया।

xii. प्रश्नोत्तर सत्र के बाद, कंपनी सचिव ने बताया कि प्रस्तावित प्रस्तावों पर मतदानबैठक के समापन के बाद 15 मिनट तक खुला रखा जाएगा, ताकि सदस्य अपना मत दे सकें।

xiii. कोई अन्य कार्य न होने के कारण, कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव, श्री जे.एस. अमिताभ ने अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

इसके बाद अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की।

बैठक दोपहर 12:29 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त हुई।